राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांकः एफ 40(35)ग्रावि/नरेगा/ए.के.ए.के/पार्ट–2/2011 जयपुर, दिनांक : 16 JUN 2015

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
एवं जिला कलेक्टर
समस्त राजस्थान

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों हेतु लाभार्थी की पात्रता के संबन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 21.05.2015 को मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान के द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित वीडियो कान्फ्रेन्सिग में यह ध्यान में लाया गया कि ऐसे परिवार जिनके कब्जे की भूमि की खातेदारी पैतृक नाम से है लेकिन नामांतरण/तकास्मा नहीं हो पाने के कारण महात्मा गांधी नरेगा योजना का लाभ सभी उत्तराधिकारियों को नहीं मिल पर रहा है।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य "अपना खेत अपना काम" करवाने बाबत् जारी दिशा निर्देश दिनांक 4/27.05.2011 के बिन्दु संख्या 1(ख)(ii) पर उल्लेख है कि "ऐसे परिवार जिनके कब्जे की भूमि की खातेदारी पैतृक नाम से है, के लाभार्थी द्वारा सादा कागज पर आवेदन पत्र मय मूल खातेदार से उत्तराधिकारी सम्बन्ध का उल्लेख करते हुए शपथ पत्र नोटेरी से सत्यापित करवाकर अपने खाते की नवीनतम जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस को संलग्न कर नियमानुसार योजनान्तर्गत लाभ ले सकेंगे"।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी परिवार जिनके कब्जे की भूमि की खातेदारी पैतृक नाम से है लेकिन नामान्तरण/तकास्मा नहीं हो पाया है तो ऊपर वर्णित व्यवस्था अनुसार कार्यवाही कर महात्मा गांधी नरेगा योजना का लाभ सभी उत्तराधिकारियों को दिया जावे। किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि के कुल रकबा यदि सीमान्त तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार हो तो उसे लघु सीमान्त कृषक के अनुसार योजनान्तर्गत लाभ दिया जावे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करावें।

भवदीय

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिंव, पंचायतीराज।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
6. अधिशाषी अभियन्ता (ईजीएस), जिला परिषद, समस्त।
7. श्री रिंकु, एमआईएस मैनेजर, कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत ।

परि० निदे० एवं उपसचिव, ईजीएस

16/6/15